न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 72/2018 (धारा 75 भू राजस्व अधि0 1956) (R.C.M.S . no 2018/00081)

मण्डल वन अधिकारी भरतपुर (उपवन संरक्षक) क्षेत्रीय वन अधिकारी कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कालेखां पुत्र निजरू
2. राज खां उर्फ राजेखां

जाति मेव निवासी वासोली तहसील कामां जिला भरतपुर।

3. ऐन्काशा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, मकान नं0 802 रायल सी.जी.एच.एस. प्लाट नं0 23 सैक्टर जरिये प्रबन्धक प्रभूदयाल पुत्र चन्दूलाल जाति स्वर्णकार निवासी 375 सैक्टर 27 नियम गलेरिया मार्केट गुडगांवा हरियाणा। हाल पता– मकान नम्बर 561 ए, राजेन्द्र नगर भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।
4. दीनू कौम मेव
5. सौराव खां पुत्र डेमुल उर्फ असन खां

जाति मेव निवासी बासौली तहसील कामां जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 रा0 भू0 राजस्व अधि0 आदेश विरूद्ध उपखण्डाधिकारी कामां विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कामां दिनांक 22.12.2017 प्रकरण संख्या 951/2017 मण्डल वन अधिकारी बनाम काले खां 136 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अधि0 अपीलान्ट ।
2. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।
3. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट–3

निर्णय

दिनांकः– 19.7.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी कामां के निर्णय दिनांक 22.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट वन मण्डल अधिकारी भरतपुर (उप वन संरक्षक) ने एक प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साविक खसरा नम्बर 2/1 रकबा 9.38 किस्म गै0मु0 पहाड एवं ख0नं0 30/1 रकबा 1.26 किस्म गैर मु0 पहाड स्थित ग्राम बासोली तहसील कामां में स्थित है। जिनका राजस्थान राज्य पत्र 13 नबम्बर 2009 में राज्य सरकार ने राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1) के अंतर्गत वन रक्षित वन घोषित किया है। जिसकी प्रविष्टि इन खसरा नम्बरान की गजट में राज्य सरकार ने वन विभाग के हक में अंकित किया है। इन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साबिक खसरा नम्बरान के क्रमशः बाद बन्दोबस्त हाल खसरा नम्बर 5/9.39 हैक्टेयर एवं 62/1.26 हैक्टेयर कायम हुये है। जिनके प्रमाण में राज्य सरकार का राज्य पत्र तारीख 13 नबम्बर 2009 हाल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल एवं हाल नक्शा ट्रैस ग्राम बासौली जिसमें हाल खसरा नम्बरान ग्राम 5 व 62 को वन क्षेत्र अंकित किया है व रंग सुर्ख से प्रदर्शित किया है। उक्त वर्णित तथ्य के अुसार दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि हाल खसरा नम्बर 5 व 62 वन विभाग की भूमि है जो गैर वानिकी की कार्यवाहियों के लिये काम में नहीं आ सकती जबकि तहसीलदार कामा ने अपने आदेश क्रमांक एल.आर./ 700 दिनांक 24.3.2017 से प्रार्थी वन विभाग की भूमि से साबिक खसरा नम्बर 2/1 रकबा 1.57 है0 से क्रमशः अप्रार्थीगण नं0 1 को 0.20 है0 अप्रार्थी संख्या –2 को 0.97 है. और अप्रार्थी संख्या–3 को 9.40 है0 व इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 30/1 रकबा 0.32 है0 से अप्रार्थी संख्या–3 को 0.08 है0 भूमि का खातेदार अंकित कर दिया है जो मौके एवं कानून के विरूद्ध है क्यों कि अप्रार्थीगण के हक में की गई तरमीम के आदेश तारीख 24.3.2017 की पालना में जो 27.3. 2017 को तरमीम की है वह विधि विरूद्ध है इसलिऐ निरस्त की जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कामां ने बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 पारित कर यह मानते हुये कि तरमीम पुराने नक्शे में की गयी है जिसका अमल नये नक्शे में नहीं है क्यों कि तहसीलदार कामां के पत्र के द्वारा सेटिलमेन्ट रिकार्ड दिनांक 29.2.2012 से प्रचलन में आ गय है तो पुराना नक्शा में तरमीम का इन्द्राज कोई औचित्य नहीं रखता है और अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू0अ0 अधिनियम प्रभावी नहीं होने से खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि आ0ख0नं0 5/9.39 व ख0नं0 62/1.26 वाकै ग्राम बासौली तहसील कामां को राज्य सरकार के राज पत्र तारीख 13 नबम्बर 2009 हाल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शा ट्रैस में अपीलान्ट के हक में वन क्षेत्र अंकित किया है इसलिऐ इस भू–भाग के क्षेत्रफल में कोई तरमीम करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। तहसीलदार कामां ने अपने आदेश क्रमांक एलआर/700 दिनांक 24.3.2017 से अपीलान्ट वन विभाग की भूमि से साविक खसरा नम्बर 2/1 रकबा 1.57 है0 से क्रमशः रैस्पो0 संख्या 1 को 0.20 है0, रैस्पो0 सं0–2 को 0.97 है0, रैस्पो0 –3 को 9.40 है0, रैस्पो0 सं0–4 को 0.16 है0 व रैस्पो0–5 को 0.08 है0 भूमि पर खातेदार अंकित करने का आदेश दिया है जो मौके व कानून के विरूद्ध है जिसके आधार पर दिनांक 27.3.2017 को संबधित राजस्व अभिलेख में तरमीम कर इन्द्राज कर दिये है । तहत अदालत ने भी अपने अपीलाधीन आदेश से तहसीलदार कामां की उक्त कार्यवाही को सही मानकर यथावत रखने का आदेश देने में भारी त्रुटी की है। जबकि वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजनार्थ कार्य में नहीं लाया जा सकता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की वन भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इस प्रकार जो वन भूमि पर रैस्पो0 के नाम तरमीम बताकर खातेदारी के इन्द्राज किये जाने की जो कार्यवाही तहसीलदार कामां ने की है वह प्रारम्भ से ही शून्य है। इसके

Web Copy - Not Official

अलावा स्वयं तहसीलदार कामां ने भी अपने मौका पर्चा तारीख 31.3.2017 में अपनी टिप्पणी की है कि सैटिलमन्ट से प्राप्त नवीनतम रिकार्ड के अनुसार मौका पर्चा में दिया गया विवरण सही है मौका पर्चा से कथन किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 5 व 62 वन भूमि दर्शाता है जिससे बनाया गया रास्ता वन भूमि में होकर गुजरता है जो विधि विरूद्ध की गई तरमीम का परिणाम है के अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी का नाम कलमजन कर हाल खसरा नम्बर 5 व 62 स्थिति ग्राम बासौली तहसील कामां मुताबिक नक्शा ट्रैस दुरूस्त फरमाया जावे। इसी तरह इन खसरा नम्बरान की भूमि वन विभाग के हक में तरमीम कर अप्रार्थीगण उत्तरवादीगण संख्या–1 का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार के द्वारा दिनांक मौका पर्चा तारीख 31.3.2017 प्रस्तुत किये जाने के बाबजूद भी तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया गया है जो रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिले मंसूखी है। यह कि तहसीलदार कामां ने अपना जबाब दिनांक 4.5.2017 पेश किया और उसमें टीम गठित कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लेने के साथ –साथ राजस्व रिकार्ड व नियमों का अवलोकन कर बिन्दुवार रिपोर्ट दी गई है जिसमें स्पष्ट किया है कि सैटिलमैन्ट रिकार्ड दिनांक 29.2.2012 को तहसील कार्यालय में प्राप्त हो चुका है । रिकार्ड प्राप्त होने के दिनांक से रिकार्ड प्रचलन में आ गया है। जिसमें ख0नं0 2/1 रकबा 9.38 के स्थान पर 5/9.39 एवं ख0नं0 30/1 रकबा 1.26 के स्थान पर 62/1.26 बने है जो कि मण्डल वन अधिकारी भरतपुर के नाम दर्ज है तथा पुराने नक्शे में तरमीम किया जाना उचित नहीं है तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 106, 107 व 126 के अनुसार जब तक नया रिकार्ड भू प्रबन्धन विभाग द्वारा तैयार नहीं कर लिया जाता है तब तक पुराना रिकार्ड लागू रहता है लेकिन यहां नया रिकार्ड तैयार होकर दिनांक 29.2.2012 को तहसीलदार कार्यालय में प्राप्त हो चुका है इसलिऐ दिनांक 27.3.2017 की भू–अभि0निरी0 व पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका एवं रिकार्ड के विपरीत तरमीम को निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है । उपखण्डाधिकारी कामां के समक्ष स्वयं भूमिधारी तहसीलदार कामां द्वारा प्रस्तुत जबाब पर भी तहत अदालत द्वारा कोई गौर न करते हुये मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कतई न्यायसंगत नही है। तरमीम चाहे नये नक्शें में हो या पुराने नक्शे में गलत व विधि विरूद्ध की गई है जो निरस्त योग्य है। उक्त तरमीम से वन विभाग को आवंटित वन भूमि के दो टुकडे कर वन भूमि के बीच में से रास्ता निकालकर उसे निजी काश्तकारों के नाम दर्शा दिया है। वन भूमि पर की गई उक्त तरमीम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन है । चूंकि उक्त तरमीम 24. 3.2017 को तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश 22.12.2017 से यथावत रखा गया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है और यह तरमीम ही विवाद का मुख्य कारण है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश उपखण्डाधिकारी कामां दिनांक 22.12.2017 निरस्त किया जाकर विधिविरूद्ध तरमीम निरस्त की जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कामां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही रिकार्ड के अनुरूप अपीलाधीन

आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 2 व खसरा नम्बर 30 के रकबा में से हुये टुकडों के संबध में उनके पृथक–पृथक बटा नम्बर डालते हुये संबधित खातेदारों के मध्य मौका नक्शा में मुताबिक मौका व कब्जा के आधार पर तरमीम करते ुये राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाता कायम करते हुये पृथक–पृथक जमाबन्दी जारी की जा चुकी है। जिसके आधार पर अप्रार्थी नम्बर 1,2,4, व 5 से उनके नाम दर्ज हिस्सा खातेदारी नम्बरान भूमि में से अपनी निजी सडकनुमा रास्ता मुख्य सडक से लेकर अपने प्लाट पर जाने के लिए भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गयी है जिसमें मुताबिक मौका व कब्जा अप्रार्थी नम्बर 3 ने अपनी स्वयं की निजी लागत से मौके पर रास्ता बना लिया है जो आज बदस्तूर बना हुआ है जिसमें वन विभाग का कोई संबध नहीं है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के आदेश दिनांक 22.12. 2017 अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में तहसीलदार कामा के आदेश कमांक एल.आर./ 700 दिनांक 24.3.2017 की पालना में दिनांक 27.3.2017 को अप्रार्थीगण के हक में की गई तरमीम को तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश 22. 12.2017 के जरिये यह कहते हुये कि ''.....तरमीम पुराने नक्शे में की गयी है जिसका अमल नये नक्शे में नहीं है क्यों कि तहसीलदार कामां के पत्र के द्वारा सेटिलमेन्ट रिकार्ड दिनांक 29.2.2012 से प्रचलन में आ गया है तो पुराना नक्शा में तरमीम का इन्द्राज कोई औचित्य नहीं रखता है.....'' इस आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो न्यायोचित नहीं रहता है। हमारी विनम्र राय में कोई भी कार्यवाही चाहे नये रिकार्ड में हो या पुराने पुराने रिकार्ड में गलत व विधि विरूद्ध कार्यवाही ध्यान में आते ही सदैव दुरूस्त योग्य रहती है। उपखण्डाधिकारी का वहैसियत भू–अभिलेख आधिकारी यह कर्तव्य भी बनता है। इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार कामां जो भूमिधारी भी है के पत्र दिनांक 31.3.2017 एवं जबाब दिनांक 4.5.2017 से बखूबी स्पष्ट है कि विवादित आराजी को राजस्थान राज्य पत्र 13 नबम्बर 2009 में राज्य सरकार ने राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1) के अंतर्गत वन रक्षित वन घोषित किया है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की वन भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। तहसीलदार कामां ने भी अपने मौका पर्चा तारीख 31.3.2017 में स्पष्ट किया है कि हाल खसरा नम्बर 5 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

62 वन भूमि दर्शाता है। तहसीलदार कामां के जबाब दिनांक 4.5.2017 से भी स्पष्ट है कि सैटिलमेन्ट रिकार्ड दिनांक 29.2.2012 को तहसील कार्यालय में प्राप्त हो चुका है । रिकार्ड प्राप्त होने के दिनांक से रिकार्ड प्रचलन में आ गया है। जिसमें ख0नं0 2/1 रकबा 9.38 के स्थान पर 5/9.39 एवं ख0नं0 30/1 रकबा 1.26 के स्थान पर 62/1.26 बने है जो कि मण्डल वन अधिकारी भरतपुर के नाम दर्ज है तथा पुराने नक्शे में तरमीम किया जाना उचित नहीं है इसलिऐ दिनांक 27.3.2017 की गई तरमीम को निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है । वास्तव में वन भूमि पर की गई उक्त तरमीम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रतिकूल ही रहती है। लिहाजा तहत अदालत के समक्ष प्रकरण की वास्तविक स्थिति तहसीलदार कामां के जबाब एवं मौका पर्चा के माध्यम से स्पष्ट हो जाने के उपरान्त भी तहत अदालत द्वारा अपीलधीन आदेश पारित किया गया है जो मौका एवं रिकार्ड के विपरीत पाये जाने के कारण निरस्त योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कामां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 मौका एवं रिकार्ड के विपरीत पाये जाने के कारण निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये, पक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त मौके एवं रिकार्ड के परिपेक्ष्य में बाद परीक्षण पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official